न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पटना

जमाबंदी रद्द वाद संख्या–136 / 2014–15

श्यामेश्वर सिंह वगैरह बनाम रामजी सिंह

(Under Section 9 of the Bihar Land Mutation Act, 2011)

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
24/01/19	**आदेश** यह वाद श्यामेश्वर सिंह वो मधेश्वर सिंह पेसरान स्व0 सीता राम सिंह, ग्राम–कोर्रा, थाना–जानीपुर, जिला–पटना के द्वारा रामजी सिंह, पिता सरयुग सिंह उर्फ सुरेन्द्र सिंह, ग्राम–रानीपुर, थाना–फुलवारीशरीफ, जिला–पटना की मौजा–फुलवारी, थाना नं0 35, खाता नं0 371, खेसरा नं0 4879, रकबा 12डी0 के लिए कायम जमाबंदी सं0 7687 को रद्द करने हेतु दाखिल किया गया है। इस न्यायालय मेंवाद के विचाराधीन रहने के दौरान विपक्षी रामजी सिंह की मृत्यु हो जाने के कारण उनके स्थान पर उनके पुत्र अमरेन्द्र कुमार, उपेन्द्र कुमार एवं जितेन्द्र कुमार को पक्षकार बनाये जाने की स्वीकृति दी गयी। **आवेदक का कहना है कि** 1. प्रश्नगत भूखण्ड मौजा–फुलवारी, थाना नं0 35, खाता नं0 371, खेसरा नं0 4879 रकबा 12डी0 सर्वे खतियान में बाबु देवी प्रसाद सिंह, पिता स्व0 बाबु विटेश्वर प्रसाद सिंह के नाम से दर्ज है। आवेदकगण खतियानी रैयत के वंशज एवं वैध उतराधिकारी है। प्रश्नगत भूखण्ड आवेदकगण के दखल–कब्जा में है। 2. आवेदकगण के पिता सीता राम सिंह की मृत्यु वर्ष 1971 में हो गयी। आवेदकगण बाहर रहते थे। आवेदकगण के द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड अन्य लोगों को किराया पर जोत आबद के लिए दे दिया गया था। 3. आवेदकगण या उनके पूर्वज के नाम से कायम जमाबंदी का कोई कागज उपलब्ध नहीं रहने के कारण अंचलाधिकारी, फुलवारीशरीफ को दाखिल खारिज हेतु आवेदन दिया गया। अंचलाधिकारी, फुलवारीशरीफ के द्वारा विविध वाद सं0 $\frac{13}{4}$ वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत राजस्व कर्मचारी से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। 4. राजस्व कर्मचारी के द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड पर आवेदक के दखल का प्रतिवेदन दिया गया। साथ ही प्रतिवेदित किया गया कि प्रश्नगत भूखण्ड की जमाबंदी सं0 7687 विपक्षी रामजी सिंह के नाम से कायम है। अंचलाधिकारी, फुलवारीशरीफ के द्वारा इसे जमाबंदी रद्द का मामला बताते हुए अपर समाहर्ता, पटना के न्यायालय में वाद दायर करने को कहा गया।	

5. विपक्षी के पास विवादित भूखण्ड के स्वत्व एवं अधिकार से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं है। प्रश्नगत भूखण्ड पर विपक्षी का दावा निराधार है। विपक्षी के नाम से कायम जमाबंदी सं0 7687 को रद्द करने का अनुरोध किया गया है।

आवेदक के द्वारा निम्न कागजात की छाया–प्रति दाखिल की गयी है :–

1. सर्वे खतियान

2. विविध वाद सं0 $\frac{13}{4}$ वर्ष 2014–5 का आदेश–फलक एवं जाँच प्रतिवेदन

विपक्षीगण का कहना है कि

1. प्रश्नगत भूखण्ड पर विपक्षीगण के पूर्वज सरयुग सिंह उर्फ सुरेन्द्र सिंह का शांतिपूर्वक दखल–कब्जा बहुत पूर्व से है। सरयुग सिंह उर्फ सुरेन्द्र सिंह के द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड वर्ष 1962 में देवलातो कुँवर जौजे शिवलाल राय को तीन साला रेहन रखा गया था।

2. सरयुग सिंह उर्फ सुरेन्द्र सिंह के नाम से अन्य भूखण्ड के साथ प्रश्नगत भूखण्ड की जमाबंदी सं0 87 कायम थी। उनकी मृत्यु के उपरान्त खानगी बंटवारा हुआ, जिसमें प्रश्नगत भूखण्ड रामजी सिंह के हिस्से में आया। दाखिल खारिज वाद सं0 398/4 वर्ष 1996–97 द्वारा रामजी सिंह के नाम से जमाबंदी सं0 7687 कायम की गयी। प्रश्नगत भूखण्ड विपक्षीगण के दखल–कब्जा में है तथा लगान रसीद निर्गत हो रही है।

3. आवेदकगण के द्वारा विपक्षीगण को परेशान करने की नीयत से यह वाद लाया गया है, जो रद्द करने योग्य है।

विपक्षगण के द्वारा निम्न कागजात की छाया–प्रति दाखिल की गयी :–

1. दिनांक–19.04.1962 का रेहनामा

2. सरयुग सिंह उर्फ सुरेन्द्र प्रसाद की जमाबंदी सं0 87 पर निर्गत वर्ष 1988–89, 1996–97, 2002–03 की लगान रसीद

3. रामजी सिंह की जमाबंदी सं0 7687 पर निर्गत वर्ष 2003–04, 2008–09, 2012–13, 2013–14, 2016–17 की लगान रसीद

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुनने तथा उपलब्ध कराये गये कागजात के परिशीलन से निम्न तथ्य सामने आते है।

1. आवेदकगण मात्र खतियान के आधार पर प्रश्नगत भूखण्ड पर अपना दावा कर रहे हैं। प्रश्नगत भूखण्ड के लिए पूर्व से उनके पूर्वज के नाम से जमाबंदी कायम नहीं है।

2. आवेदकगण प्रश्नगत भूखण्ड पर अपने दखल–कब्जा की बात करते है परन्तु विविध वाद सं0 $\frac{13}{4}$ वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत राजस्व कर्मचारी के दिनांक–23.12.2014 के स्थल जाँच प्रतिवेदन में कहा गया है कि पूछताछ में कुछ लोग इस वाद के आवेदकगण तो कुछ लोग

जमाबंदीदार (विपक्षी) का प्रश्नगत भूखण्ड पर दखल बताते हैं। इस प्रकार प्रश्नगत भूखण्ड पर आवेदकगण का दखल कब्जा संदेहास्पद हो जाता है।

3. दिनांक–19.04.1962 के रेहनामा से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूखण्ड सरयुग सिंह उर्फ सुरेन्द्र सिंह के दखल–कब्जा में थी, जिसे तीन साल हेतु देवलातो कुंवर को रेहन पर रखा गया।

4. सरयुग सिंह के नाम से बहुत पूर्व से प्रश्नगत भूखण्ड की जमाबंदी कायम है। साक्ष्य के रूप में वर्ष 1988–89 एवं उसके बाद के लगान रसीद की छाया–प्रति दी गयी है।

5. विविध वाद सं0 $\frac{13}{4}$ वर्ष 2014–15 में राजस्व कर्मचारी का स्पष्ट प्रतिवेदन है कि रामजी सिंह, पिता सरयुग सिंह उर्फ सुरेन्द्र सिंह के नाम से दाखिल खारिज वाद सं0 $\frac{398}{4}$ वर्ष 1996–97 के द्वारा जमाबंदी सं0 7687 कायम है।

सम्यक विचारोपरान्त मेरा यह मत है कि प्रश्नगत भूखण्ड के लिए विपक्षी के पूर्वज की जमाबंदी बहुत पूर्व से कायम है। वर्ष 1996–97 से रामजी सिंह के नाम से दाखिल खारिज होकर जमाबंदी कायम की गयी है, जिसे अवैध नहीं माना जा सकता है।

आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

3/11/19

(वजैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता, पटना

3/11/19

(वजैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता, पटना